# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
## दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 195 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/51
दिनांक 08.05.2026

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1002353996**,
मो नं. **9589845434**

आवेदक

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

अनावेदकगण

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के **Water Works** हेतु स्थापित 14 अश्वशक्ति के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

## आदेश

( आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया )

### 1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1002353996 से संबंधित Water Works विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/51 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

## 2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अनावेदक अनुपस्थित रहे तथा आवेदक की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, विगत तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

## 3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण के अभिलेखों का परीक्षण करने पर फोरम ने पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत बी.पी. क्रमांक 1002353996 से संबंधित है। उक्त विद्युत कनेक्शन से संबंधित समान विषय–वस्तु पर प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/52 में विस्तृत सुनवाई कर आदेश पारित किया जा चुका है, जिसमें उपभोक्ता की समस्त शिकायतों एवं विवादित बिंदुओं का निराकरण कर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई नवीन तथ्य, साक्ष्य अथवा पृथक विवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर पृथक निर्णय पारित किया जाना आवश्यक हो। अतः एक ही विषय एवं एक ही विद्युत कनेक्शन के संबंध में पुनः आदेश पारित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।



## 4. आदेश

1. यह पाया जाता है कि वर्तमान परिवाद में उठाए गए समस्त विषयों का निराकरण प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/52 के आदेश द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है।

2. अतः वर्तमान परिवाद में पृथक आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा यह प्रकरण प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/52 में पारित आदेश के अधीन निराकृत किया जाता है।

3. यह आदेश फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर विधिवत पारित किया जाता है।

4. प्रकरण का निराकरण उपर्युक्त आदेशानुसार किया जाता है।

5. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग